

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वित्तौडगाढ (राज.)
 पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - शिलाया



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं.: 336/25 दायर दिनांक: 27.9.2025 निर्णय दिनांक: 29.9.2025

क्र.सं..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>शिलाया</u>	<u>235</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		तहसीलीदर कपासन की अनुशंशा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अधधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शिलाया</u> , प.ह. <u>शिलाया</u> खतासं. <u>235</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	
			स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया	
			हस्ताक्षर (प.ह. शिलाया)	हस्ताक्षर गिरधर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार
					पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि पालनाथ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार शिलाया रेकार्ड में अनलदरामद करें। कपासन जिला- वित्तौडगाढ

तहसीलदार (प.अ.) कपासन
 तहसीलदार (प.अ.) कपासन